

445

88

राजस्थान सरकार
राजस्व(मुप-6)विभाग

क्रमांक:- 9(126)राज/6/2012 | 49

जयपुर, दिनांक : 21.12.12

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" में आयोजित शिविरों में उक्त अधिनियम की धारा 90-ए के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत तहसीलदार पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतद्वारा अधिकृत करती है।

यह अधिसूचना "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" की अवधि के दौरान ही प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(स्नेहलता पंवार)

शासन उप सचिव,

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग को उनके पत्र क्रमांक प:3(54)नवि/III/2011/पार्ट दिनांक 05.12.12 के संदर्भ में भेजकर लेख है कि संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों को अपने स्तर पर सूचित करने का कष्ट करें।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 21.12.12 में प्रकाशनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

(365)